वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 40/2025 *दिनांक- 02.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 01.03.2025 को थाना तरवां पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती करने वाला अभियुक्त को लूट के चेन की बिक्री का 20 हजार रूपयें नकद व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

थाना तरवा: लूट/छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार,लूट के चेन की बिक्री का 20 हजार रूपयें नकद व एक मोटरसाइकिल बरामद।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 21/02/2025 समय लगभग 11.45 बजे दिन में वादी श्री सन्दीप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुखवंश सिंह ग्राम लौदह इमादपुर थाना मेहनगर जिला – आजमगढ अपनी पत्नी श्रीमती साधना सिंह व पुत्री दीपांशी के साथ अपनी मोटर साइकिल से मऊ लेकर जा रहे थे जैसे ही खरिहानी चौराहा से आगे बढे कि इतने में अपाची गाडी से तीन अज्ञात व्यक्ति इनका पीछा करने लगे और दो तीन बार आगे पीछे हुये बोंगरिया बाजार से आगे बढे की अपाची सवार तीनों व्यक्ति असलहा लहराते हुये एकाएक उनकी मोटरसाईकिल रोककर वादी और वादी सन्दीप सिंह के पत्नि साधना सिंह के गले से सोने का चेन लगभग 20 ग्राम का छिन लिये जब उन्होने शोर गुल किये तो अपाची सवार अभियुक्तगण जान से मारने कि धमकी देते हुये वहाँ से भाग गये । उसके बाद वादी सन्दीप सिंह थाना तरवां आकर प्रर्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 33/25 धारा 309(4)/351(3) बीएनएस बनाम अपाची सवार 3 अभियुक्त अज्ञात के विरुद्ध दिनांक-21.02.2025 को मुकदमा पंजीकृत कराये जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी उ0नि0 अरविन्द सिंह को सुपुर्द हुआ उनके द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही अमल में लायी गयी अब तक की विवेचना बयान वादी, बयान पाड़िता, निरीक्षण घटनास्थल , साक्ष्य संकलन व अवलोकन सीसीटीवी फूटेज से वादी मुकदमा व पीड़िता द्वारा अभियुक्तण की पहचान करायी गयी जिसके आधार पर अभियुक्त 1.अंकित यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर उचौरी थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर ,2. सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम झरेना थाना भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर, 3. शुभम यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाया गया व प्रकाश में आये अभियुक्तगण के घर व मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनाँक - 01.03.2025 को उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना तरवा मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक-21.02.2025 को बोगरिया बाजार के आगे रासेपुर की तरफ जाने वाली सडक पर जो लूट की घटना हुई थी, वह तीनो अभियुक्त बहरियाबाद से आ रहे है संभवतः परमानपुर मे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक मे है, इस सूचना पर जरिये दूरभाष उ0नि0 भीम सिंह व का0 अभिषेक यादव व का0 संजय यादव को बुलाकर मय हमराह के सहायता से अभियुक्त अंकित यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर उचौरी थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर को समय करीब 21.50 बजे वहरियाबाद जाने वाली रोड सव सैया अस्पताल बहद ग्राम फिरोजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तगण सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम झरेना थाना भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर, 3. शुभम यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर वहाँ से फरार हो गये , गिरफ्तार हुआ अभियुक्त अंकित यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर उचौरी थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर के कब्जे से एक मोटर साइकिल TVS अपाचे सफेद रंग रजि0 नं0 UP54AX2328 व लूट का 20,000/ रु0 बरामद हुआ। गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं दि0 21.02.25 को अपने दोस्त सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 छोटना थाना भुडकुडा जिला गाजीपुर तथा शुभम यादव पुत्र जगदीश यादव नि0 राजापुर थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर तीनो लोग इसी मोटसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम देने के इरादे से बहरियाबाद पोट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाये तथा तीनो लोग बहरियाबाद से परमानपुर होते हुए खरिहानी बाजार के आगे पहुचे कि 01 मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत बैठी थी जिसके गले मे सोने की चैन दिखाई दिया कि हम तीनो लोग जिसमे शुभम यादव मोटरसाइकिल चला रहा था मै पीछे बैठा था तथा बीच मे सोनू यादव बैठा था लूट करने के इरादे से आगे बाली मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके आगे होकर हम लोगो ने तश्दीक किया कि मोटरसाइकिल पर बैठी महिला के गये मे सोने का चैन है हमलोग अक्त मोटरसाइकिल के आगे पीछे होते होते सुनसान जगह की तलाश करते हुए बोगरिया बाजार से आगे पहुचे तथा उक्त मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके सुनसान स्थान पर रोक लिये तथा सोनू यादव ने अपने कमर से असलहा निकलकर मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति की तरफ नाल कर के धमकाये तथा मौका पाकर मै ने उस औरत के गले मे पहने हुए चैन को खिच लिया उसके बाद हम तीनो लोग उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर लिंक रोड से कंचनपुर बाजार होते हुए बहरियाबाद चले गये।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 33/25 धारा 309(4)/351(3) ,317(2) बीएनएस थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकित यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर उचौरी थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर

बरामदगी

1-एक मोटर साइकिल TVS अपाचे सफेद रंग रजि0 नं0 UP54AX2328

2- लूट का 20,000/ रु0

वांछित/फरार अभियुक्त –

1. ***सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम झरेना थाना भुड़कुड़ा जिला गाजीपुर,***

1-मु0अ0सं0—149/2023 323/506/506 भादवि व धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2) (va) Sc/st थाना भुड्कुड़ा जनपद गाजीपुर

2-मु0अ0सं0-44/2024 धारा-323,504,506,325 भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

3-मु0अ0सं0-81/2024 धारा-103(1),191(2),191(3) बीएनएस थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

2. ***शुभम यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी ग्राम राजापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर***

1- मु0अ0सं0-44/2024 धारा-323,504,506,325 भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

3. उ0नि0 अरविन्द सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 भीम सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
5. प्रभारी SI संजय सिंह स्वाट टीम 2nd जनपद आजमगढ़
6. SI मोहम्मद शाबान
7. HC सतेंद्र यादव, HC अवधेश यादव, C मुकेश यादव, C धर्मेंद्र कुमार
8. सर्विलेंस टीम HC संजय सिंह जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस